रजिस्ट्री सं० डी०—(डी)—73

REGISTERED NO. D-(D)—73

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY 15 MAR 1980

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 9] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 1, 1980 (फाल्गुन 11, 1901)

No. 9] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 1, 1980 (PHALGUNA 11, 1901)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	219
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	247
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	3
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई, अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	293
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खण्ड 2—विधेयक और विधेयक संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें . .	—
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिसमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) .	375
भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं . .	563
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश .	105
भाग III—खण्ड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग रेल प्रशासन, उच्च मंत्रालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .	2363
भाग III—खण्ड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	111
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	25
भाग III—खण्ड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं . . .	1049
भाग IV—गैर सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	31

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notification relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	219
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	247
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	3
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	293
PART II—SECTION 1.—Act, Ordinances and Regulations.	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committee on Bills	—
PART II.—SECTION 3.—SUB-SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	375
PART II—SECRION 3.—SUB-SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	563
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	105
PART III—SECTION 1.—Notification issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	2363
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	111
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	25
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1049
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies ..	31

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 फरवरी 1980

संकल्प

सं० 07011(3)/79-साल्ट:—भारत सरकार इस मंत्रालय के संकल्प सं० 07011/1/77-साल्ट, दिनांक 4 जनवरी, 1980 के अन्तर्गत गठित नमक के केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड तथा आन्ध्र प्रदेश गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु तथा पं० बंगाल में नमक के क्षेत्रीय सलाहकार बोर्डों की अवधि 30 जून, 1980 तक अथवा बोर्डों के पुनर्गठित होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाने का विनिश्चय करती है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सभी राज्य सरकारों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, तथा विभागों, योजना आयोग, मंत्रिमण्डल सचिवालय तथा प्रधान मंत्री सचिवालय को भेज दिया जाये।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत के राजपत्र के भाग-I खण्ड 1 में प्रकाशित किया जाये।

समरेन्द्र कुमार सरकार, संयुक्त सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

नई दिल्ली-1, दिनांक 29 जनवरी 1980

सं० 1/5/79-सी० टी० ई०—सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि प्रोफेसर एम० नूरुल हसन को उपाध्यक्ष, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद के रूप में मनोनीत किया गया है और उन्होंने तारीख 28-1-1980 को दोपहर के बाद से अपना कार्यभार सम्भाल लिया है। इसी के परिणामस्वरूप श्री के० सी० पन्त का नाम और पद जो अधिसूचना क्रमांक 1/5/79-सी० टी० ई० दिनांक 10-8-79 की क्रम संख्या 2 के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया था, के स्थान पर अब प्रोफेसर एम० नूरुल हसन, ए०-64, न्यू फ्रेंड्स कालोनी, नई दिल्ली-14 पढ़ा जाये।

एम० जी० के० मेनन, सचिव

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक जनवरी 1980

संकल्प

सं० एफ० 8-43/79-एफ०-2—काष्ट निष्कासन के क्षेत्र में वन कार्मिकों के प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन के सहयोग से कृषि और सिंचाई मंत्रालय के अधीन काष्ट निष्कासन प्रशिक्षण केन्द्र परियोजना को सितम्बर, 1965 में प्रारम्भ किया गया था। इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य राज्यों (राज्य निगमों) वन ठेकेदारों के वन कार्मिकों को काष्ट निष्कासन सम्बन्धी उन्नत औजारों के उपयोग और उनके रखरखाव के बारे में प्रशिक्षण देना और वैज्ञानिक एवं आर्थिक स्तर के अनुसार काष्ट निष्कासन कार्यों से देश की वन उत्पादकता में वृद्धि करना था।

काष्ठ निष्कासन के अनुसन्धान और विकास के लिये उचित नीति तैयार करने और काष्ट निष्कासन प्रशिक्षण केन्द्र सम्बन्धी परियोजना की गतिविधियों के मार्गदर्शन के लिये भारत सरकार ने भारतीय वानिकी के काष्ट निष्कासन क्षेत्र का तेजी से विकास करने के लिये एक काष्ट निष्कासन विकास परिषद को गठित करने का निर्णय लिया है।

परिषद में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे:—

1. श्री बी० पी० श्रीवास्तव, वन महानिरीक्षक एवं पदेन अतिरिक्त सचिव कृषि और सहकारिता विभाग, नई दिल्ली। — अध्यक्ष
2. श्री एम० के० डालवी, अतिरिक्त वन महानिरीक्षक कृषि और सहकारिता विभाग, नई दिल्ली। — सदस्य
3. श्री जे० सी० वर्मा, अध्यक्ष, वन अनुसन्धान, संस्थान एवं महाविद्यालय, देहरादून। — सदस्य
4. श्री एस० बी० पालित, उप वन महानिरीक्षक जी, कृषि और सहकारिता विभाग, नई दिल्ली। — सदस्य
5. श्री पी० एम० राव, महा वन पाल, आन्ध्र प्रदेश (हैदराबाद) — सदस्य }*
6. श्री एस० एस० मण्डल, महावन पाल, पश्चिम बंगाल (कलकत्ता) — सदस्य }*

*राज्यों के महा वन पाल बारी-बारी दो वर्ष की अवधि के लिये। राज्य वन विकास निगम के दो प्रबन्ध निदेशक।

7. श्री डी० पी० जोशी, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ। — सदस्य
8. श्री वी० के० सेठ, प्रबन्ध निदेशक, मध्य प्रदेश वन विकास निगम, भोपाल। — सदस्य

9. श्री० सी० एस० भाटिया, सदस्य
मुख्य समन्वयक,
निवेश पूर्व सर्वेक्षण तथा
वन अनुसन्धान (देहरादून)।

10. महानिदेशक, तकनीकी विकास सदस्य
अथवा उनका प्रतिनिधि।

11. श्री बी० पी० मागेता, सदस्य-सचिव
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
काष्ठ निष्कासन प्रशिक्षण
केन्द्र परियोजना, देहरादून।

2. परिषद के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे:—

1. भारतीय वानिकी में काष्ठ निष्कासन के विकास की प्रक्रिया को गतिमान करना।

2. देश के लिये काष्ठ निष्कासन की नीति को तैयार करना।

3. काष्ठ निष्कासन अनुसन्धान एवं विकास के लिये दीर्घकालीन एवं अल्प कालीन योजनायें तैयार करना।

4. देश में काष्ठ निष्कासन के उपयुक्त औजार उपकरणों एवं मशीनों का देश में विकास और विनिर्माण करने के लिये संबंधित संस्थाओं, अर्थात् राज्य वन विभाग, निगम, ठेकेदारों, विनिर्माताओं तथा अनुसन्धान संस्थानों, में परस्पर समन्वय स्थापित करना।

5. काष्ठ निष्कासन के उपकरणों एवं मशीनों के आयात की आवश्यकताओं का अनुमान लगाना तथा ये उपकरण एवं मशीनें देश में उपलब्ध न हों तो उपयोग के लिये उनकी खरीद करने में संगठनों को सहायता देना तथा ऐसी मशीनों का देश में ही विकास करना।

6. देश के काष्ठ निष्कासन सम्बन्धी प्रशिक्षित एवं विशेषज्ञता प्राप्त कार्मिकों का रोस्टर रखना तथा काष्ठ निष्कासन एवं उसके विकास के लिये उपलब्ध विशेषज्ञता के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करना।

7. सरकार को काष्ठ निष्कासन से संबंधित परामर्शदात्री सेवाओं के आबंटन में सलाह देना (यदि ये मांगें देश अथवा विदेशों के काष्ठ निष्कासन संगठनों अथवा उद्योगों से प्राप्त हों)।

8. परिषद की बैठक प्रायः वर्ष में एक बार अवश्य होगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी मंत्रालयों तथा मंत्रिमण्डल के सभी सदस्यों भारत सरकार के विभागों, प्रधान मंत्री सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, योजना आयोग, सभी राज्य सरकारों संघ राज्य क्षेत्रों के कृषि व वन विभागों के वन सचिवों, कृषि विभाग के सभी सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों, लोकसभा सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, संसद पुस्तकालय (5 प्रति) को भेज दी जाएं।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

जी० नायक, अवर सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT)

New Delhi, the 4th February 1980

RESOLUTION

No. 07011/3/79-Salt.—The Government of India have decided to extend the term of the Central Advisory Board for Salt and Andhra Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Orissa, Rajasthan, Tamil Nadu and West Bengal Regional Advisory Boards for Salt constituted *vide* this Ministry's Resolution No. 07011/1/77-Salt, dated the 4th January, 1978, for a period upto 30th June, 1980 or till the Boards are re-constituted whichever is earlier.

ORDER

ORDERED that this Resolution be communicated to all State Governments, all Ministries & Departments of Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat and Prime Minister's Secretariat.

2. ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India, (Part I, Section 1).

S. K. SARKAR, Jt. Secy.

(DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY)

New Delhi-1, the 29th January 1980

No. 1/5/79-CTE.—It is notified for general information that Prof. S. Nurul Hasan has been nominated as Vice-President, Council of Scientific & Industrial Research and he assumed charge of his office with effect from the afternoon of 28-1-1980. Consequently the name and designation of Shri K. C. Pant appearing under serial No. 2 of Notification No. 1/5/79-CTE. dated 10-8-1979 be and is hereby replaced with that of Prof. S. Nurul Hasan, A-64, New Friends Colony, New Delhi-14.

M. G. K. MENON, Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 11th February 1980

RESOLUTION

No. F. 8-43/79-F.II.—The Logging Training Centres Project under the Ministry of Agriculture and Irrigation was started in September, 1965 in collaboration with the F.A.O. of the United Nations to meet the requirements of training Forestry personnel in the field of logging. The main objects of the project were to train the forestry personnel of States/State Corporations/Forest Contractors in the use & maintenance of improved logging tools, thereby increasing the wood productivity of the country by bringing Logging Operations on scientific & economic level.

In order to formulate well considered logging research and development policy and guide the activities of the Logging Training Centres Project the Government of India have decided to constitute a Logging Development Council for faster pace of development in the field of Logging in Indian Forestry.

The Council will consist of the following :—

1. Shri B. P. Srivastava, I.G.F. & Ex-officio Additional Secretary, Department of Agriture & Cooperation, New Delhi. *Chairman*

2. Shri M. K. Dalvi, Additional Inspector General of Forests, Department of Agriculture & Cooperation, New Delhi. *Member*

3. Shri J. C. Varmah, President Forest Research Institute & Colleges, Dehra Dun. *Member*

4. Shri S. B. Palit, Dy. I.G.F. (G), Deptt. of Agriculture & Cooperation, New Delhi *Member*

5. Shri P. S. Rao, Chief Conservator of Forests, Andhra Pradesh (Hyderabad) *Member* }*

6. Shri S. S. Mandal, Chief Conservator Forests, West Bengal (Calcutta) *Member* }*

*Two Chief Conservator of Forests of the States by rotation for a period of two years.

Two Managing Director of the State Forest Development Corporation.

7. Shri D. P. Joshi, Chairman-cum-Managing Director, Uttar Pradesh Forest Corporation, Lucknow. *Member*

8. Shri V. K. Seth, Managing Director, Madhya Pradesh Forest Development Corporation, Bhopal. *Member*

9. Shri C. L. Bhatia, Chief Coordinator, Pre-investment Survey of Forest Resources, Dehra Dun. *Member*

10. Directorate General of Technical Development or Nominee of the D.G.T.D. *Member*

11. Shri B. P. Maleta, Chief Executive Officer, Logging Training Centres Project, Dehra Dun. *Member-Secretary*

2. Terms of reference of the Council will be as follows :—

(1) To promote logging development process in Indian Forestry.

(2) To formulate logging policy in the country.

(3) To formulate long term and short term plans for logging research and development.

(4) To promote coordination amongst the users i.e. the State Forest Departments, Corporations and Contractors, manufacturers and research bodies for development and manufacture of suitable logging tools, equipment and machines indigenously.

(5) To assess need for import of logging equipments and machines and assist the organisations in procuring the same from abroad in case the same is not available in the country for use and subsequent development of such machines indigenously.

(6) To maintain a roster of trained and specialised logging personnel in the country and ensure proper utilisation of available expertise for logging and its development.

(7) To advise the Government in allocating the consultancy jobs pertaining to logging, if such demand is coming from Logging Organisations or industries in the country or outside.

3. The meeting of the Council will ordinarily be held atleast once a year.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be forwarded to all Ministries and Members of the Council of Ministers/Depts. of the Government of India, Prime Minister's Secretariat, President Secretariat, Planning Commission, Cabinet Sectt., Comptroller & Auditor General of India, Agriculture/Forest Secretaries of all State Governments & Union Territories Administration, all attached & subordinate Offices of the Department of Agriculture, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat Department of Parliamentary Affairs, Parliament Library (: copies).

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

. G. NAIK, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1980